



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन 1942 (श10)

(सं0 पटना 657) पटना, मंगलवार, 29 सितम्बर 2020

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

24 सितम्बर 2020

बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) नियमावली, 2020

सं0 8 / नियम संशोधन-07-08 / 2016(खंड-1)-405(8) / रा0—बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 23, 2011) की धारा-22 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली, 2012 (यथा संशोधित, 2017) में संशोधन करते हुए निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है :-

अध्याय-I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—

- (1) यह नियमावली "बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) नियमावली, 2020" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं।—इस नियमावली में, जबतक कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो, बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-2 में दिए गए शब्दों की परिभाषाएँ बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली, 2012 में प्रयुक्त उन शब्दों के लिए भी लागू की जायेगी।

अध्याय-II

3. "बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017" के नियम-3 के उप नियम-(3) के बाद निम्नलिखित उप नियम 3(क) एवं 3(ख) जोड़ा जायेगा:—
 - (क) ऑनलाइन माध्यम से दाखिल-खारिज हेतु आवेदन/याचिका प्राप्त होने पर आवेदनकर्ता को उनके मोबाईल पर एस0एम0एस0 (SMS) द्वारा एक टोकन नं0 प्रदान किया जायेगा।
 - (ख) ऑनलाइन माध्यम से दाखिल-खारिज हेतु प्राप्त आवेदन/याचिका के साथ अनुलग्न वांछित सभी कागजातों एवं अभिलेखों की संलग्नता की जाँच अंचल स्तर पर गठित केन्द्रीकृत प्रणाली द्वारा 03 (तीन) कार्य दिवस के अंदर किया जायेगा एवं आवेदन वांछित कागजातों सहित सही पाये जाने पर अपनी अनुशंसा आवेदन पत्र पर अंकित कर संबंधित अंचल अधिकारी को अग्रसारित करेगा।
4. "बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-3 के उप नियम-(6) के बाद निम्नलिखित उप नियम (7) एवं (8) जोड़ा जायेगा:—

- (7) यथाविहित उप नियम-3(ख) के अनुसार ऑनलाइन दाखिल-खारिज का वाद अभिलेख (संख्या एवं वर्ष सहित) 03 (तीन) कार्य दिवस के अंदर खोला जायेगा तथा इसकी सूचना आवेदनकर्ता को एस0एम0एस0 (SMS) के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदनकर्ता द्वारा Online Portal पर वाद संख्या देखा जा सकेगा।
- (8) ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन/याचिका का वाद अभिलेख खोल दिये जाने के पश्चात् वाद राजस्व कर्मचारी को अंचल अधिकारी द्वारा जाँच हेतु हस्तांतरित किया जायेगा तथा राजस्व कर्मचारी 07 (सात) कार्य दिवस के अंदर अपना प्रतिवेदन मंतव्य के साथ संबंधित अंचल निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा। अंचल निरीक्षक द्वारा राजस्व कर्मचारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य अंकित करते हुए वाद को अंचल अधिकारी के समक्ष 03 (तीन) कार्य दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जायेगा।
5. "बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली, 2012" के नियम-5 के उप नियम-(3) के बाद निम्नलिखित उप नियम-3(क) जोड़ा जायेगा:-
- (क) अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा आम एवं खास सूचना 03 (तीन) कार्य दिवस के भीतर निर्गत किया जायेगा; अन्यथा इसके पश्चात् यह स्वतः उद्भूत (Generate) होकर PDF के रूप में कम्प्यूटर ऑपरेटर के Log in में Print के लिए चला जायेगा। इस प्रकार निर्गत आम एवं खास सूचना पर अंचल अधिकारी का स्वीकार योग्य (deemed) हस्ताक्षर समझा जायेगा।
6. "बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017" के नियम-6 के उप नियम-6(i) एवं उप नियम-6(ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-
- 6(i) ऑनलाइन से प्राप्त दाखिल-खारिज आवेदन/याचिकाएँ, जिनमें आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हो, उनमें दाखिल-खारिज याचिका की प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 35 (पैंतीस) कार्य दिवस के भीतर, जैसा अंचल अधिकारी विधिसम्मत उचित समझे, आदेश पारित कर, निष्पादन कर सकेगा।
- 6(ii) ऑनलाइन से प्राप्त दाखिल-खारिज आवेदन/याचिकाएँ, जिनमें आपत्तियाँ प्राप्त हुई हो, उनमें सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का, यदि कोई हो, युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त, दाखिल-खारिज याचिका प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 75 (पचहत्तर) कार्य दिवस के भीतर, जैसा अंचल अधिकारी विधिसम्मत उचित समझे, आदेश पारित कर निष्पादन कर सकेगा।
7. "बिहार भूमि दाखिल-खारिज नियमावली, 2012" के नियम-15 के उप नियम-(8) के वाद निम्नलिखित उप नियम-(9) जोड़ा जायेगा:-
- (9) जमाबंदी पंजी-II में अंकित लिपिकीय त्रुटि का परिमार्जन तथा लगान रसीद निर्गत होने में परिलक्षित समस्याओं के निराकरण हेतु आवेदक/याचिकाकर्ता विहित प्रपत्र-XIX में आवेदन संबंधित अंचल अधिकारी को दे सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
वीरेन्द्र कुमार पासवान,
संयुक्त सचिव।

24th September 2020

The Bihar Land Mutation (Amendment) Rules, 2020

No.- 8/Niyam Sanshodhan-07-08/2016 (Khand-I) 405(8)/Ra—In exercise of the powers conferred by section-22 of the Bihar Land Mutation Act, 2011 (Bihar Act 23, 2011), the State Government hereby amend the Bihar Land Mutation Rules, 2012 (as amended, 2017) and make the following Amendment Rules:-

Chapter-I

1. Short title, extent and commencement.-

- (1) These rules may be called " The Bihar Land Mutation (Amendment) Rules, 2020.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions .- In these rules, unless and until anything repugnant to the subject or context, the definitions of words given in section-2 of the Bihar Land Mutation Act, 2011 shall be applicable to the words as used in the Bihar Land Mutation Rules, 2012.

Chapter-II

3. The following sub-rule 3 (a) and 3 (b) shall be added after sub-rule (3) of the Bihar Land Mutation (Amendment) Rules, 2017 .-

- 3(a) - The applicant shall be provided a token number through SMS on his/her mobile phone after receipt of application/petition for online land mutation.
- 3(b)- The veracity of the required all such annexed papers and documents of the application/petition received for online mutation shall be examined by a centralised system constituted at circle level within three working days and in case of application, along with all required papers, being found proper shall be forwarded to the concerned Circle Officer recording its recommendation on the application.

4. The following sub-rule (7) and (8) shall be added after sub-rule (6) of rule 3 of the Bihar Land Mutation (Amendment) Rules, 2017 :-

- (7) As prescribed under sub-rule 3 (b), case record of online mutation (including number and year) shall be opened up within 03 (three) working days and the applicant shall be informed of this through SMS. The applicant may perceive the case number upon online Portal.
- (8) After the opening up of the case record of online mutation application, the case shall be endorsed by the Circle Officer to the revenue Karmachari for inspection and the revenue Karmachari shall put up the report with opinion to the respective Circle Inspector/Revenue Officer within 07 (seven) working days. The Circle Inspector/Revenue Officer, after recording the opinion on the inspection report of the revenue Karmachari, shall put up the record before the Circle Officer within 03 (three) working days.

5. The following sub-rule 3 (a) shall be added after sub-rule (3) of rule 5 of the Bihar Land Mutation (Amendment) Rules, 2017 :-

- 3(a) The Circle Officer shall cause the general and specific notice to be issued within 03 (three) working days based on the inspection report of Circle Inspector/Revenue Officer. Otherwise, thereafter it would shift to the Log in of Computer Operator for print in the form of automatically generated PDF. The signature of Circle Officer on the general and specific notice, issued in such manner, shall be deemed acceptable.

6. Sub rule 6(i) and 6(ii) of rule 6 of the Bihar Land Mutation (Amendment) Rules, 2017 shall be substituted by the following:-

- 6(i) Online mutation applications/petitions, in which objections have not been received, shall be disposed of within 35 (thirty five) maximum working days from the date of receipt of the petition by passing such order, as the Circle Officer may deem lawfully proper.
- 6(ii) Online land mutation applications/petitions, in which objections have been received, shall be disposed of within a maximum of 75 (seventy five) working days from the date of receipt of the petition by passing such order as the Circle Officer may deem lawfully proper, after hearing the respective parties and providing them reasonable opportunity of producing evidences, as the case may be.

7. *The following sub-rule (9) shall be added after sub-rule (8) of rule 15 of the Bihar Land Mutation (Amendment) Rules, 2017 :-*

- (9) The applicant /petitioner may submit the application in prescribed format-XIX to the respective Circle Officer for rectification of clerical mistakes crept in Mutation Register and problems manifested in disposal of rent receipt.

**By Order of the Governor of Bihar,
BIRENDRA KUMAR PASWAN,
Joint Secretary.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 657-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>